

प्रमाण पत्र

ज्ञात किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा 2017 दिनांक 18, नवम्बर 2017 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के ग्राम-खोली में स्टेडियम में प्रभावित होने वाली 2.848 है० वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 5.696 है० के वन विभाग द्वारा कालापैर कापडी कपकोट एवं हरकोट गोंव तहसील कपकोट की वन भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपर्युक्त होने का प्रमाण पत्र जिला अधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव के 2.10(प्रपत्र 43) में दिया गया है।

उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार कपकोट में पत्रांक संख्या 471 दिनांक 09, अगस्त 2018 के द्वारा 5.696 है० एवं पत्रांक संख्या- 502/र०का०/2018 दिनांक 24 अगस्त, 2018 के द्वारा 0.496 है० की खतौनी दी गई है जो संलग्न है।

खतौनी की एक-एक प्रति


जिला क्रीड़ा अधिकारी
बागेश्वर।

उद्हरण गै. ज. वि. रखते नी

कोट, रा. ३० नि. क्षेत्र. लोहारखेत तह. कपकोट जनपद. बागेश्वर

3) अन्य वन

स्वातेदार	क्र०	खेत नम्बर	रकबा	लागत	काम विवरण
मूल की हडि		६	४६०		अंश अधिकतम लि० ५०० मही० काटिवा आ १०९/१०९०/१०/१०००० १०००० डि २५/५/१० के ६.५१ एवं तापन दे पा डि १०००००० रिमा ० रिमा रिमा मंडल तापन के १००००० १०००० लागत ४२०००० १०००० १०००० कुल २२००००० १०००० १०००० मात्र माता १००००० रिमा रिमा रिमा के १००००० रिमा रिमा रिमा
		२	२०११		
		१०	६२००		
		११	६२११		
		कम:			
		२१	३२२		
		२३	२०		
		२४	१००	२.०००	१०००० लोहा १००० २०१०/१०
		१२२	४२०१		
		१२६	१४१		
		कम:			
		↓	↓		
		३३०६	२४		
		३३१०	६२११		
नोग		४२	१२४४३११		
			२५०.०००		

महादत्त

अहम ते जमा किया.

R. S. 24/8/18